भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4753

20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष सुरक्षा पोर्टल पर दर्ज शिकायतें

4753. श्री जगदीश चंद्रा बर्मा बसुनिया:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुष सुरक्षा पोर्टल की प्रारम्भ से लेकर अब तक इस पर वर्ष-वार और श्रेणी-वार कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ख) आज तक ऐसी कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया है और कितनी लंबित हैं;

(ग) क्या ऐसी शिकायतों के आधार पर बार-बार अपराध करने वालों की पहचान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे अपराधियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष मंत्रालय ने 30 मई 2025 को रिपोर्ट किए गए भ्रामक विज्ञापनों (एमएलए)/आक्षेपणीय विज्ञापनों (ओए) और प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं (एडीआर) की निगरानी करने के लिए एक आईटी-सक्षम ऑनलाइन पोर्टल "आयुष सुरक्षा" शुरू किया है। पोर्टल में त्वरित नियामक कार्रवाई तथा व्यापक डेटा विश्लेषण हेतु एमएलए/ओए का पता लगाने और संदिग्ध एडीआर की निगरानी करने के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड मौजूद है।

आयुष सुरक्षा पोर्टल पर, इसकी शुरूआत से पंजीकृत शिकायतों की संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है।

(ख): आयुष सुरक्षा पोर्टल पर प्राप्त सभी शिकायतों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयुष सुरक्षा पोर्टल पर अब तक प्राप्त और निराकृत शिकायतों की संख्या का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) और (घ): राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक प्राप्त शिकायतों के आधार पर पहचाने गए बार-बार अपराध करने वालों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण **संलग्नक-III** में दिया गया है।

संलग्नक-I

आयुष सुरक्षा पोर्टल के प्रारंभ से इसके माध्यम से प्राप्त शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

आयुष सुरक्षा पोर्टल पर दर्ज भ्रामक विज्ञापनों (एमएलए) और संदिग्ध प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाएं (एडीआर)		
द्वारा दर्ज की गई	**एमएलए**	**संदिग्ध एडीआर**
सार्वजनिक	55	00
एनपीवीसी, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली	46	00
आईपीवीसी, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर	945	63
आईपीवीसी, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	5267	65
आईपीवीसी, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	288	00
आईपीवीसी, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बेंगलुरु	2391	54
आईपीवीसी, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई	1277	34
कुल	**10269**	**216**

संलग्नक-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आयुष सुरक्षा पोर्टल पर अब तक प्राप्त और निराकृत शिकायतों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें**	**पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की संख्या**	**जिन पर कार्रवाई की गई**
1.	महाराष्ट्र	1112	1112
2.	उत्तराखंड	237	191
3.	मध्य प्रदेश	975	197
4.	ओडिशा	291	213
5.	हिमाचल प्रदेश	402	287
6.	केरल	108	108
7.	दिल्ली	369	322
8.	त्रिपुरा	44	23
9.	तमिलनाडु	825	609
10.	पुदुचेरी	79	04
11.	हरियाणा	शून्य	शून्य
12.	पंजाब	शून्य	शून्य
13.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य

संलग्नक-III

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अब तक प्राप्त शिकायतों के आधार पर पहचाने गए बार-बार अपराध करने वालों और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें**	**पहचाने गए बार-बार अपराध करने वालों की संख्या**	**जिन पर कार्रवाई की गई**
1.	उत्तराखंड	10	10
2.	त्रिपुरा	01	01
3.	पुदुचेरी	04	04
4.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य
5.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य
6.	ओडिशा	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
9.	केरल	शून्य	शून्य
10.	दिल्ली	शून्य	शून्य
11.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य
12.	पंजाब	शून्य	शून्य
13.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य